# हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्य परिषद् की दिनांक 05/03/2020 को सम्पन्न नवम् बैठक का कार्यवृत्त

बैठक मे निम्नलिखित उपस्थित हुये :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 नरेन्द्र बहादुर सिंह<br>कुलपति,<br>एच0बी0टी0यू0, कानपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 विनय कुमार पाठक<br>कुलपति,<br>डा0 ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ। | सदस्य |
| 3 | प्रो0 मनोज कुलश्रेष्ठ<br>प्रति–कुलपति<br>छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द प्रावि0 विश्वविद्यालय<br>पोस्ट–नेवइ, भिलाई, दुर्ग (छत्तीसगढ़)–491107<br>(ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4. | प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला,<br>प्रति–कुलपति, एच0बी0टी0यू0 कानपुर | सदस्य |
| 5. | प्रो0 सुमित गांगुली<br>आई0आई0टी0 कानपुर।<br>(निदेशक, आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 6. | प्रो0 तपोव्रत लहरी<br>आई0आई0आई0टी0 प्रयागराज।<br>(निदेशक, आई0आई0आई0टी0, प्रयागराज द्वारा नामित प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 7. | श्री कृपाशंकर सिंह<br>संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन<br>लखनऊ। (प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 8. | श्री अजय जौहरी,<br>अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल, कानपुर।<br>(प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 9. | डा0 अनिल मिश्रा<br>क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।<br>(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 10. | श्री राजेश सिंह,<br>वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर। | विशेष आमंत्री |
| 11. | डा0 नीरज कुमार सिंह,<br>कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर। | सचिव |

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हो सके:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 मणीन्द्र अग्रवाल<br>उपनिदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर।<br>(शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद) | सदस्य |
| 2. | प्रो0 राजीव त्रिपाठी<br>निदेशक, एम0एन0आई0टी0, प्रयागराज।<br>(शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद) | सदस्य |



Scanned by CamScanner

परिषद् के सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं परिचयोपरान्त अध्यक्ष, कार्य परिषद् की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

9.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर कार्य परिषद की दिनांक 30/11/2019 को सम्पन्न अष्टम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की दिनांक 30/11/2019 को सम्पन्न कार्य परिषद् की अष्टम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया। उक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा निदेश दिये गये कि परिषद् की विगत बैठक से वर्तमान बैठक के मध्य हुई प्रगति आख्या भी आगामी परिषद् बैठक में अलग मद के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाय जिसमें एकेडमिक, प्लेसमेन्ट, रिसर्च/पेटेन्ट, इन्क्यूबेशन/इनोवेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि विषय समाहित हों। उक्त आख्या कुलसचिव एवं प्रतिकुलपति द्वारा तैयार की जायेगी।

9.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 30/11/2019 को सम्पन्न अष्टम बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

परिषद् ने कृत कार्यवाही के सन्दर्भ में निम्न निदेश प्रदान किये:

1. मद सं0 8.02.2 के अन्तर्गत सभी निर्माण इकाईयों से किये गये एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में निर्देश वर्तमान बैठक के मद सं0 9.04.2 पर अंकित है।
2. मद सं0 8.02.3 के अन्तर्गत सभी पार्ट टाइम एम0टेक0 पाठ्यक्रमों को बन्द किये जाने के निदेश दिये गये।
3. मद सं0 8.02.4 के अन्तर्गत सत्रान्त लाभ अनुमन्य शिक्षकों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाय।
4. मद सं0 8.06 के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्देश वर्तमान बैठक के मद सं0 9.06 पर अंकित है।
5. मद सं0 8.11.01 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही के कम में कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्धित थाने में प्रेषण उपरान्त श्री प्रदीप कुमार, लैब अटेडेण्ट (निलम्बित) द्वारा अवशेष धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत् परिषद् ने श्री प्रदीप कुमार, लैब अटेडेण्ट (निलम्बित) द्वारा नैतिक अधमता करते हुये किये गये अनैतिक कदाचार एवं अनुशासनहीनता हेतु 01 वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोके जाने एवं श्री प्रदीप कुमार, लैब अटेडेण्ट के खाते में सम्बन्धित धनराशि जाने की तिथि से अन्तिम रूप से धनराशि जमा किये जाने की तिथि के मध्य की अवधि के ब्याज की वसूली सम्बन्धित के वेतन से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किये जाने के निर्देश दिये। उपरोक्त दण्ड के साथ श्री प्रदीप कुमार, लैब अटेडेण्ट को निलम्बन अवधि के भुगतान किये गये निर्वहन भत्ते से इतर वेतन रहित बहाली किये जाने के निर्देश परिषद् द्वारा दिये गये।
6. मद सं0 8.11.04 के अन्तर्गत प्रतिकुलपति का कार्यकाल योगदान आख्या से 01 वर्ष किया जाय।

परिषद् ने अवशेष कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया और निर्देश दिये कि भविष्य में किसी मद से सम्बन्धित अधिकारियों को भी आवश्यकतानुरूप तैयारियों के साथ कार्य परिषद् के समक्ष उपस्थित होने के तैयार रहने हेतु सूचित किया जाय।

9.03 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 24.02.2020 को सम्पन्न 11वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 24/02/2020 को सम्पन्न 11वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही परिषद् ने निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने हेतु इन्टर्नशिप, विभिन्न विभागों में कन्सल्टेन्सी बढ़ाने, शार्ट टर्म एवं सर्टिफिकेट कोर्सेस इत्यादि चलाये जाय एवं इस हेतु डीन, प्लानिंग एण्ड रिसोर्स जनरेशन को नोडल अधिकारी



Scanned by CamScanner

नामित किया जाय। उक्त कार्य हेतु शिक्षकों को निर्धारित लक्ष्य भी दिये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही परिषद् ने विश्वविद्यालय की कन्सल्टेन्सी को रू0 1.00 करोड से बढा कर रू0 10.00 करोड किये जाने के सम्बन्ध में आख्या देने हेतु प्रतिकुलपति को नामित किया।

9.04 **विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 15.02.2020 को सम्पन्न 8वीं बैठक के कार्यवृत्त से संज्ञानित होने के सम्बन्ध में।**

परिषद् ने विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 15/02/2020 को सम्पन्न 8वीं बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में निम्न निदेश दियेः

1. सभी निर्माण ऐजेन्सियों द्वारा डिपाजिट धनराशि में से ब्याज को घटाते हुये ऐजेन्सियों को भुगतान किया जाय एवं परिषद् की आगामी बैठक में ब्याज की धनराशि के विवरण को भी प्रस्तुत किया जाय।
2. सभी निर्माण ऐजेन्सियों से हुये एम0ओ0यू0 में "नो एस्केलेशन क्लाज" को जोडते हुये पुनरीक्षित किया जाय और उसका विधिक परीक्षण भी कराया जाय। यह कार्यवाही असिस्टेन्ट इंजीनियर, अध्यक्ष रखरखाव, कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित की जाय।
3. सभी निर्माण ऐजेन्सियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति भी प्रस्तुत की जाय। यह कार्यवाही कुलसचिव द्वारा की जाय।
4. रूसा के अन्तर्गत प्राप्त ग्रान्ट में राज्यांश प्राप्त करने हेतु वित्त नियंत्रक द्वारा विशेष प्रयास किये जायें, यदि राज्यांश मिल जाता है तो उससे कार्य कराया जाय और राज्यांश न मिल पाने की स्थिति में विश्वविद्यालय आय से कार्य सम्पादित कराते हुये केन्द्रांश प्राप्त करते हुये निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय।
5. सभी निर्माण ऐजेन्सियों द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उसका थर्ड पार्टी इवैलुऐशन कराया जाय, साथ ही निर्माण इकाई का जितना पैसा बचा है उसे निर्माण इकाई से ले कर इन्सपेक्शन करने वाली पार्टी को भुगतान किया जाय। उक्त कार्य कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9.05 **विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर शासन द्वारा नियुक्ति उपरान्त डा0 नीरज कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा पदभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना एवं उनके वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में।**

प्रकरण कुलसचिव डा0 नीरज कुमार सिंह से सम्बन्धित होने के कारण वह मद हेतु परिषद की बैठक से अनुपस्थित रहे और प्रतिकुलपति द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा डा0 सिंह के कुलसचिव का पदभार ग्रहण करने को संज्ञान में लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त परिषद् ने कुलसचिव को वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की तथा यह भी निर्देश दिये कि प्रकरण पर कुलसचिव पद के नियोक्ता शासन से भी सहमति प्राप्त कर ली जाय।

9.06 **विश्वविद्यालय में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रूसा (RUSA) परियोजना की प्रगति आख्या के सम्बन्ध में।**

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रूसा (RUSA) परियोजना की वर्तमान प्रगति आख्या पर असन्तोष व्यक्त किया और निर्देशित किया कि कुलसचिव एवं प्रतिकुलपति व्यक्तिगत ध्यान देते हुये प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति आख्या, फोटोग्राफ्स एवं वीडियो कुलसचिव, प्रतिकुलपति एवं असिस्टेन्ट इंजी0 द्वारा आगामी बैठकों में प्रस्तुत की जाय।



Scanned by CamScanner

परिषद् ने निर्देश दिये कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में प्राप्त ग्रान्ट/धनराशि से किये जाने वाले प्रोजेक्ट/कार्यों को दिनांक 31/03/2020 तक पूर्ण किया जाय। इस सम्बन्ध में कुलपति ए0के0टी0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 31/03/2020 तक ग्रान्ट को उपयोग न होने की स्थिति में ग्रान्ट/धनराशि को वापस ले लिया जायेगा और उक्त स्थित में अपूर्ण प्रोजेक्ट/कार्यों को विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आय से करना होगा, जिस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9.07 **विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना टेक्युप—III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय—समय पर लिए गए निर्णयों को परिषद के संज्ञानार्थ एवं कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना TEQIP-III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय—समय पर लिए गए निर्णयों को संज्ञान में लेते हुये अपना कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया और साथ ही अपेक्षा की आगामी बैठकों में व्यय/उपयोग की गई कुल धनराशि एवं टेक्युप द्वारा विश्वविद्यालय को दिया गया ट्विनिंग स्कोर भी आख्या में प्रस्तुत किया जाय।

9.08 **प्राविधिक शिक्षा अनुभाग—1, उ0प्र0 शासन के शासनदेश सं0 63/2019/4342/सोलह—1—2019—14(4)/2010 दिनांक 18 नवम्बर, 2019 के बिन्दु सं0 12 एवं AICTE की अधिसूचना दिनांक 01/03/2019 के बिन्दु सं0 2.12 पर उल्लिखित अधिवर्षता आयु सम्बन्धी दिशा—निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त इंगित शासनादेश निर्गमन की तिथि नवम्बर 18, 2019 के पश्चात विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त एवं सत्र लाभ प्राप्त तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय में सेवारत शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष करने पर विचार।**

परिषद् ने कार्यक्षेत्र से इतर होने के कारण प्रस्तुत प्रस्ताव को कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा वापस लिये जाने के निर्देश दिये।

9.09 **विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (Overseas Citizen of India (OCI)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (Persons of Indian Origin (PIO)/खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए Supernumerary सीटों पर प्रवेश।**

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (Overseas Citizen of India (OCI)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (Persons of Indian Origin (PIO)/खाडी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए Supernumerary सीटों पर अभातशिप मानकानुरूप प्रवेश दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9.10 **विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक (बी0टेक0) पाठ्यक्रम में विधावार सीटों की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में।**

परिषद् द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक (बी0टेक0) पाठ्यकम में विधावार सीटों की क्षमता वृद्धि किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुये विधावार सीटों की क्षमता वृद्धि के फलस्वरूप अभातशिप मानकों के अनुरूप कान्ट्रेक्ट पर शिक्षक रखे जाने के निदेश दिये गये। अभिवृद्धित छात्र प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियोजित होने वाले शिक्षकों को पद हेतु निर्धारित स्केल का न्यूनतम स्ववित्तपोषित आधार पर पारिश्रमिक दिया जाय।



Scanned by CamScanner

9.11 विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नालॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित पेन्ट टेक्नालॉजी एवं प्लास्टिक टेक्नालॉजी विधा में परास्नातक (एम0टेक0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में पेन्ट टेक्नालॉजी एवं प्लास्टिक टेक्नालॉजी विधा में परास्नातक (एम0टेक0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर अनुमोदन प्रदान किया।

9.12 विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्नातक विधाओं का राष्ट्रीय प्रत्यायन समिति (**National Board of Accreditation**) द्वारा दिनांक 15–17, नवम्बर 2019 तक निरीक्षण उपरान्त अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित फूड टेक0 एवं केमिकल टेक0 विधाओं के प्रत्यायन की स्थिति को संज्ञान में लिया।

9.13 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।

9.13.01: डा0 राकेश कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, ओ0पी0टी0 विभाग को प्रशासकीय परिषद् की प्रथम बैठक में बिन्दु सं0 1.41.08 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा पारित दण्डादेश के आलोक में प्रो0 त्रिवेदी द्वारा दण्डादेश निरस्त करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र पर विचार।

परिषद् ने कार्यक्षेत्र से इतर होने के कारण प्रस्तुत प्रस्ताव को कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद् द्वारा वापस लिये जाने के निर्देश दिये।

9.13.02: विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कल्याण संघ एवं शिक्षक संघ को विश्वविद्यालय प्रवृत्त होने उपरान्त मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम प्रभावी होने तक के लिये शिक्षणेत्तर कल्याण संघ एवं शिक्षक संघ को बनाया जाना स्थगित किया और प्रस्तावित शिक्षक संघ को अवैध मानते हुये विधिक परीक्षण के निदेश दिये।

9.13.03 श्री आर0एस0 अग्निहोत्री, फोरमैन गैस प्लान्ट (बर्खास्त) को बहाल किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद् की दिनांक 30.11.2019 को सम्पन्न अष्टम बैठक में प्राप्त निर्णय के अनुक्रम में अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल से प्राप्त राय परिषद् के सज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

परिषद् ने श्री आर0एस0 अग्निहोत्री, फोरमैन गैस प्लान्ट (बर्खास्त) के प्रकरण में अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल से प्राप्त राय को संज्ञान में लिया।

9.13.04 विश्वविद्यालय में शिक्षकों के अधीन चल रही शोध परियोजनाओं के सुचारु संचालन हेतु व्यवस्था सम्बन्ध में।

परिषद् ने निदेश दिये कि प्रोजेक्ट में नियुक्तियों के सम्बन्ध में आई0आई0टी0 कानपुर की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर आख्या पर कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर उसके अनुरूप कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्य प्रणाली का अध्ययन कर आख्या कुलसचिव द्वारा तैयार की जायेगी। वर्तमान में मैकेनिकल इंजी0 विभाग में चल रहे सी0एस0टी0 प्रोजेक्ट में नियुक्ति हेतु अधिष्ठाता, शोध एवं विकास को नामित किया।



Scanned by CamScanner

9.13.05 विश्वविद्यालय पूर्वी परिसर स्थित स्टेप–एच0बी0टी0आई0 की भूमि की लीज बढ़ाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने प्रस्ताव पर निर्णय दिया कि प्रकरण भूमि से सम्बन्धित है और निर्णय लेने की अधिकारिता शासन में निहित है, अतः समग्रता में प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त की जाय और तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित की जाय।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(डा0 नीरज कुमार सिंह)
सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner